

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : **UPFS/2023/92082/GZP/GHAZIPUR/917/CFO**
दिनांक : **10-08-2023**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SUNFLOWER CONVENT SCHOOL** पता **ARAZI NO 206, BARAHPUR, GHAZIPUR** तहसील - **SAIDPUR** प्लॉट एरिया **14003.03 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3112.08** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 2 जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ADMINISTRATIVE	2	0	7.01 mt.
EDUCATIONAL	4	0	13.84 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SUNFLOWER CONVENT SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **12-08-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PUSHPA YADAV** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **14-08-2023** से **13-08-2028** तक 5 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SUNFLOWER CONVENT SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SUNFLOWER CONVENT SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की आख्यानानुसार-भवन पूर्व से निर्मित है, आवेदक द्वारा विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र दिनांक- 06.08.2021 प्रस्तुत किया गया है। 1- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जायेगा। 2- निकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है। 3- प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है। 4- शासनादेश संख्या- 18/छः-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक- 07 जनवरी 2022 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत संस्तुति की जाती है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**KUMAR RAMASHANKAR
TIWARI**

E8AAC1D4A51B53CA9D13F3DD7F4E9B511A8D6FB5

14-08-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **14-08-2023**
स्थान : **GHAZIPUR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.